

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1194/12-1, गोपेश्वर, दिनांक 16/09/2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:- ग्वाला से भेरणी मोटर मार्ग निर्माण में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- ई0डी0एस0 दिनांक 04.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्ताव का परिक्षण करने पर कतिपय कमियां पाई गई, जिसका निराकरण अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग का पत्रांक 2553/10 एल0ए0 दिनांक 06.09.2017 (संलग्न) से निम्नानुसार किया गया है:-

क्र0 सं0	प्रस्ताव में कतिपय कमियां	कमियों का निराकरण
1.	In reply to point no 2 of EDS, it is mentioned that the geo referenced digital map has been uploaded at para-C(iii) & C(iv) of online Part-I but the map uploaded at C(iii) is the Sol toposheet map and the map at C(iv) is the digital map given in google earth image which does not serve the purpose the GIS software generated geo referenced digital map showing geo coordinates at 200 to 300 mtr interval along the alignment of road including all turning points may be uploaded at para-C(iv) Part-I. The original hard copy of the digital map may also be provided as already asked earlier.	वन भूमि हस्तान्तरित से सम्बन्धित संशोधित geo-referenced digital map में coordinates regular interval 200m to 300m में दर्शाते हुये अपलोड कर दिये गये हैं तथा हार्ड कॉपी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।
2.	In reply to point no.3 of EDS, though some of the required documents have been providing in original but original or attested hard copy of the proceeding of the meeting of village level committee of only bherni village has been provide and the same for the remaining four villages is yet to be submitted.	FRA Certificate संशोधित करते हुये Date wise Sequence में लगाकर सगरत ग्रामों के Village Level Committee certificate सहित पार्ट-I Para-K(a) में अपलोड कर दिया गया है। जिराकी हार्ड कॉपी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।
3.	In reply to point no-4 of EDS, the geo referenced digital map area proposed for CA has been metined to be provided in the hard copy fo the proposal sent by post but the same not found in the hard copy and may required to sbmitted.	CA referenced digital map की हार्ड कॉपी पुनः संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।
4.	Now a revised enumeration list has been uploaded as additional document in Part-II but the original and attased hard copy of the same has not been submitted by the State Government.	पार्ट II में अपलोड वृक्षों की सूची को हार्ड कॉपी में प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्न)

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को उनके पत्रांक 2553/10 एल0ए0 दिनांक 06.09.2017 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रपत्रों को प्रस्ताव में यथस्थान लगाते हुए वाईडिंग कर हार्ड कॉपी अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(एन0एन0पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

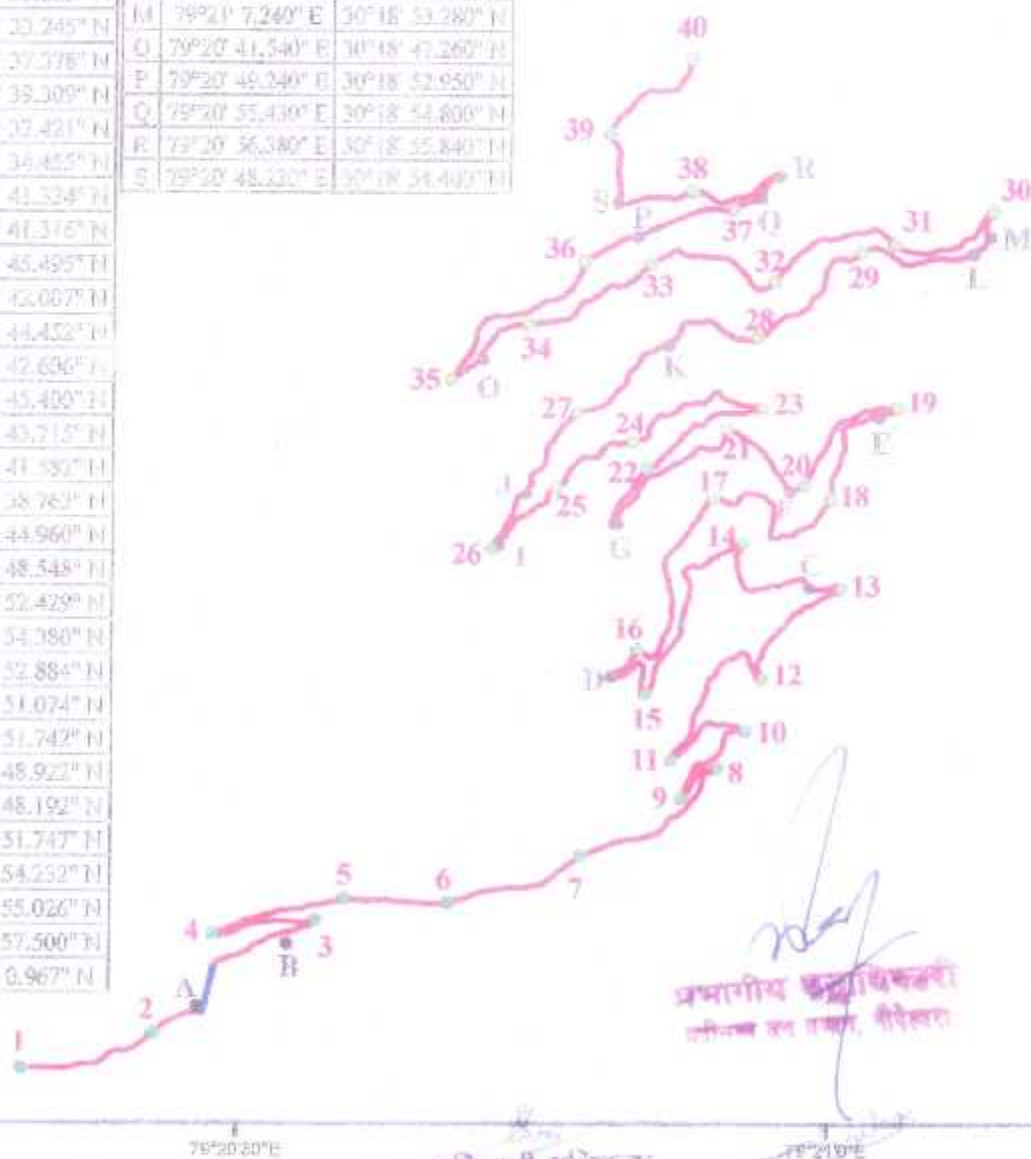
जियोरेफेरेंस मैप — जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली
के विकासखण्ड घाट में ग्वाला से मेरणी तक 8 कि०मी० मोटर
मार्ग एवं 60 मी० स्पांन सेतु के निर्माण हेतु

0 0.5 1.0 2.0 Km

Scale - 1:10,000



ID	Longitude	Latitude	Muck Dumping	
1	79°20' 18.978" E	30°18' 15.167" N	A	79°20' 27.870" E 30°18' 18.100" N
2	79°20' 25.661" E	30°18' 16.831" N	B	79°20' 32.360" E 30°18' 30.950" N
3	79°20' 33.812" E	30°18' 22.009" N	D	79°20' 48.440" E 30°18' 33.320" N
4	79°20' 28.550" E	30°18' 21.316" N	C	79°20' 58.400" E 30°18' 37.360" N
5	79°20' 35.203" E	30°18' 23.009" N	E	79°21' 1.840" E 30°18' 45.120" N
6	79°20' 40.551" E	30°18' 22.923" N	F	79°20' 57.310" E 30°18' 41.640" N
7	79°20' 47.163" E	30°18' 23.083" N	G	79°20' 48.590" E 30°18' 40.050" N
8	79°20' 54.031" E	30°18' 29.193" N	I	79°20' 42.570" E 30°18' 38.950" N
9	79°20' 52.165" E	30°18' 27.843" N	J	79°20' 43.900" E 30°18' 41.330" N
10	79°20' 53.393" E	30°18' 30.891" N	K	79°20' 50.980" E 30°18' 48.120" N
11	79°20' 51.623" E	30°18' 29.525" N	L	79°21' 5.420" E 30°18' 52.460" N
12	79°20' 56.105" E	30°18' 33.245" N	M	79°21' 7.240" E 30°18' 53.280" N
13	79°21' 0.056" E	30°18' 37.376" N	O	79°20' 41.540" E 30°18' 47.260" N
14	79°20' 54.979" E	30°18' 39.309" N	P	79°20' 49.240" E 30°18' 52.950" N
15	79°20' 50.208" E	30°18' 37.421" N	Q	79°20' 55.430" E 30°18' 54.800" N
16	79°20' 49.785" E	30°18' 34.455" N	R	79°20' 56.380" E 30°18' 55.840" N
17	79°20' 53.402" E	30°18' 41.334" N	S	79°20' 48.320" E 30°18' 54.403" N
18	79°20' 59.490" E	30°18' 41.315" N		
19	79°21' 2.746" E	30°18' 45.495" N		
20	79°20' 58.022" E	30°18' 43.007" N		
21	79°20' 54.023" E	30°18' 44.452" N		
22	79°20' 50.001" E	30°18' 42.606" N		
23	79°20' 55.825" E	30°18' 45.400" N		
24	79°20' 49.228" E	30°18' 43.712" N		
25	79°20' 45.432" E	30°18' 41.532" N		
26	79°20' 42.369" E	30°18' 38.763" N		
27	79°20' 46.394" E	30°18' 44.960" N		
28	79°20' 55.160" E	30°18' 48.548" N		
29	79°21' 0.689" E	30°18' 52.429" N		
30	79°21' 7.342" E	30°18' 54.380" N		
31	79°21' 2.348" E	30°18' 52.884" N		
32	79°20' 56.280" E	30°18' 51.074" N		
33	79°20' 49.987" E	30°18' 51.742" N		
34	79°20' 43.831" E	30°18' 48.923" N		
35	79°20' 41.152" E	30°18' 48.192" N		
36	79°20' 46.553" E	30°18' 51.747" N		
37	79°20' 54.071" E	30°18' 54.232" N		
38	79°20' 51.938" E	30°18' 55.026" N		
39	79°20' 47.734" E	30°18' 57.500" N		
40	79°20' 51.748" E	30°19' 0.967" N		



प्रभागीय इन्जीनियरिंग
लीनर वन गार्ड, गीतपुरा

Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- GPS Coordinates
- Proposed Bridge

अधिकांशी अभियन्ता
प्रान्तीय राण्ड लो. वि. वि.
कर्णप्रयाग

कमल अमिताभा (पाप)

सहायक अभियन्ता
वन गार्ड, गीतपुरा

FORM-I

(for Linear Projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 06/09/2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **4.957 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand for Construction of Gwala to Bherni motor Road Under Mukhya Mantri Ghosna** falls within jurisdiction of Tefna(Gwala) Village in Karanprayag Tehsil And Punkila, Rajbagti (Simli magri), Bherni (Paniger), Bherni village in Tehsil-Ghat,

It is further certified that :-

- The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.957 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

सहस्रपति प्रह
प्र. जे

16/9/17
Ashlesh Joshi
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Asheesh Joshi, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 06.09.2017. At 12.00 PM at Chamoli in which the application claiming rights in village - Tefna(Gwala)Tehsil-Karanprayag And Village- Punkila, Rajbagti(Simli magri), Bherni(Paniger), Bherni of Tehsil-Ghat, area Measuring 4.957 Hectares for the **Construction of Gwala to Bherni Motor Road Under Mukhya Mantri Ghoshna** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag and Ghat Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

समिति में
हस्ताक्षर

06/9/17
Asheesh Joshi
District Magistrate -cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.150 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.150 हे0 वन भूमि) का लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील:-कर्णप्रयाग) की दिनांक 30/08/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के0 एन0 गोस्वामी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री. के. एन. गोस्वामी उप जिलाधिकारी अध्यक्ष

2- श्री. जगदत्त विजो उपप्रभागीय वनाधिकारी सदस्य

3- श्री. राजनन्दन सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव

4- श्री. मन्मथ सिंह नेगी वन अधिकार समिति सदस्य सदस्य

श्री. मन्मथ सिंह नेगी वन अधिकार समिति सदस्य सदस्य

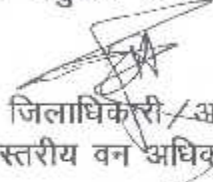
श्रीमती. सुशीला देवी वन अधिकार समिति सदस्य सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 0.150 हे0 वनभूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा

सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रमागीय वनाधिकारी, चमोली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत विधान सभा थराली के दिक्, खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.150 हे० वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील-कर्णप्रयाग
जनपद -चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सूचनार्थ प्रतिलिपि
5/5/24


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील-कर्णप्रयाग
जनपद -चमोली

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.832 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 2.975 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.807 हे0 वन भूमि) का लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील:-चमोली) की दिनांक 05/09/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री परमानन्द राग उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री परमानन्द राग उपजिलाधिकारी चमोली अध्यक्ष

2- श्री अजय कुमार उपप्रभागीय वनाधिकारी सदस्य

3- श्री राजेश कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव

4- श्री महिपाल सिंह नेगी वन अधिकार समिति सदस्य

श्री मालवत पुरोहित वन अधिकार समिति सदस्य

श्री गुरुशिला देवी वन अधिकार समिति सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.807 हे0 वनभूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा

द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनशंसा का
गई है।

संबंधित उप प्रमाणीय वनाधिकारी, चमोली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन
निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को
स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम
सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत विधान सभा थराली के पिक-
खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.807 हे० वन भू-
लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित
किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिला
चमोली
तहसील-घाट
जनपद -चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
जिलाधिकारी
तहसील-घाट
जनपद -चमोली

सूचनापत्र प्रति
क्र. 56

परियोजना का नाम :- मा0 गु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-तेफना (ग्वाला तोक)
तहसील:- कर्णप्रयाग जिला:- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 गु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.150 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.150 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तेफना (ग्वाला तोक) द्वारा दिनांक 28/08/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तेफना (ग्वाला तोक) के ग्राम वासियों को उक्त सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव

ह0/-
ग्राम प्रधान

नोट :-* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक २७/०७/१७ को ग्राम सभा तेफना (गवाला तोक) की सम्पन्न बैठक में उपस्थिति

ग्राम पंचायत तेफना (गवाला तोक)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	कुवद सिंह चौहान	K. K. Chauhan
2.	जीतपाल सिंह	J. P. Singh
3.	जोत सिंह	J. Singh
4.	गुरद सिंह बिहारी	G. Singh
5.	राज सिंह	R. Singh
6.	प्रमोद सिंह राणा	P. Singh
7.	हरद सिंह	H. Singh
8.	...	...
9.	...	...
10.	...	...
11.	...	...
12.	...	...
13.	...	...
14.	...	...
15.	...	...
16.	...	...
17.	...	...
18.	...	...
19.	...	...
20.	...	...

समाप्त श्री
क/से

ह0/-
ग्राम प्रधान

तेफना



प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-पुणकिला
तहसील:- घाट, जिला:- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.024 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.024 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पुणकिला द्वारा दिनांक 28/08/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पुणकिला के ग्राम वासियों को उक्त सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव

ह0/-
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 28/08/17 को ग्राम सभा पुणकिला की सम्पन्न बैठक में उपस्थिति

ग्राम पंचायत पुणकिला

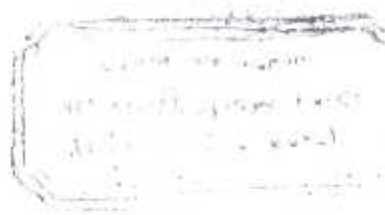
क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	अमरपाल	अमरपाल
2.	विष्णु लाल	विष्णु लाल
3.	विष्णु लाल	विष्णु लाल
4.	राम लाल	राम लाल
5.	राम लाल	राम लाल
6.	राम लाल	राम लाल
7.	राम लाल	राम लाल
8.	राम लाल	राम लाल
9.	राम लाल	राम लाल
10.	राम लाल	राम लाल
11.	राम लाल	राम लाल
12.	राम लाल	राम लाल
13.	राम लाल	राम लाल
14.	राम लाल	राम लाल
15.	राम लाल	राम लाल
16.	राम लाल	राम लाल
17.	राम लाल	राम लाल
18.	राम लाल	राम लाल
19.	राम लाल	राम लाल
20.	राम लाल	राम लाल

सहभाषित प्रो.
क. ड. ड.

पुणकिला

ह0/-
ग्राम प्रधान

Dove



परियोजना का नाम :- मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-राजबगटी (सिमली मगरी)
तहसील:- घाट, जिला:- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.680 हे0 सिविल सोयम भूमि, 1.736 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 2.416 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत राजबगटी (सिमली मगरी) द्वारा दिनांक 2.8.08/17 ...को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम राजबगटी (सिमली मगरी) के ग्राम वासियों को उक्त सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव



ह0/-
ग्राम प्रधान

नोट :-* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-भेरणी (पाणीगैर)

तहसील:- घाट, जिला:- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.128 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.128 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भेरणी (पाणीगैर) द्वारा दिनांक 28/08/12 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी क. कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भेरणी (पाणीगैर) के ग्राम वासियों को उक्त सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव

ह0/-
ग्राम प्रधान

नोट :-* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम :- मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-भेरणी
तहसील:- घाट, जिला:- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

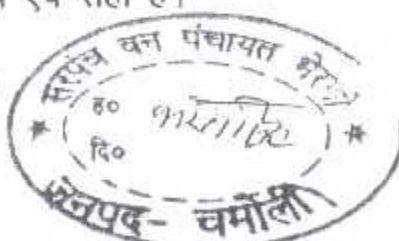
उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मु0 मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि, 1.239 हे0 व. पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.239 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भेरणी द्वारा दिनांक 28/08/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भेरणी के ग्राम वासियों को उक्त सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

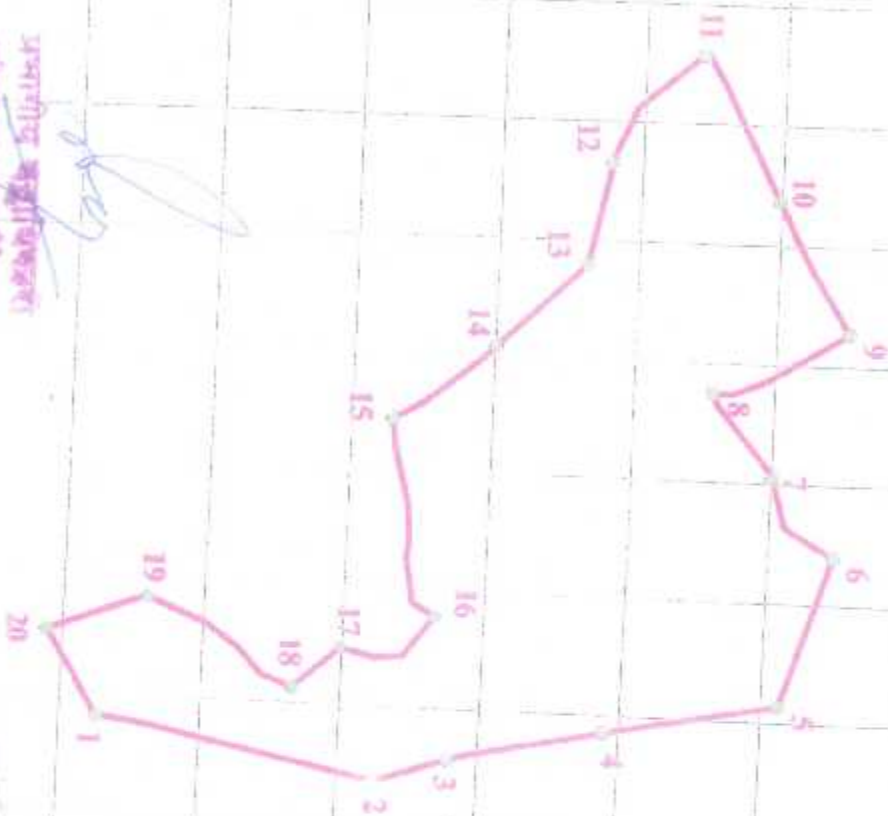
ह0/-
ग्राम सचिव



ह0/-
ग्राम प्रधान

नोट :-* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

जयपुरकरनास रोड - जयपुर बसों के विमानतल क्षेत्र धरणी के विकासखण्ड बाउ में स्थान के
 सर्वे तक 8 कि०मी० मोटर मार्ग एवं 60 मी० स्थान क्षेत्र के निर्माण हेतु धरणीत क्षतिपूर्तक सुधारोपण स्थल



Legend

Red Point
 Red Polygons

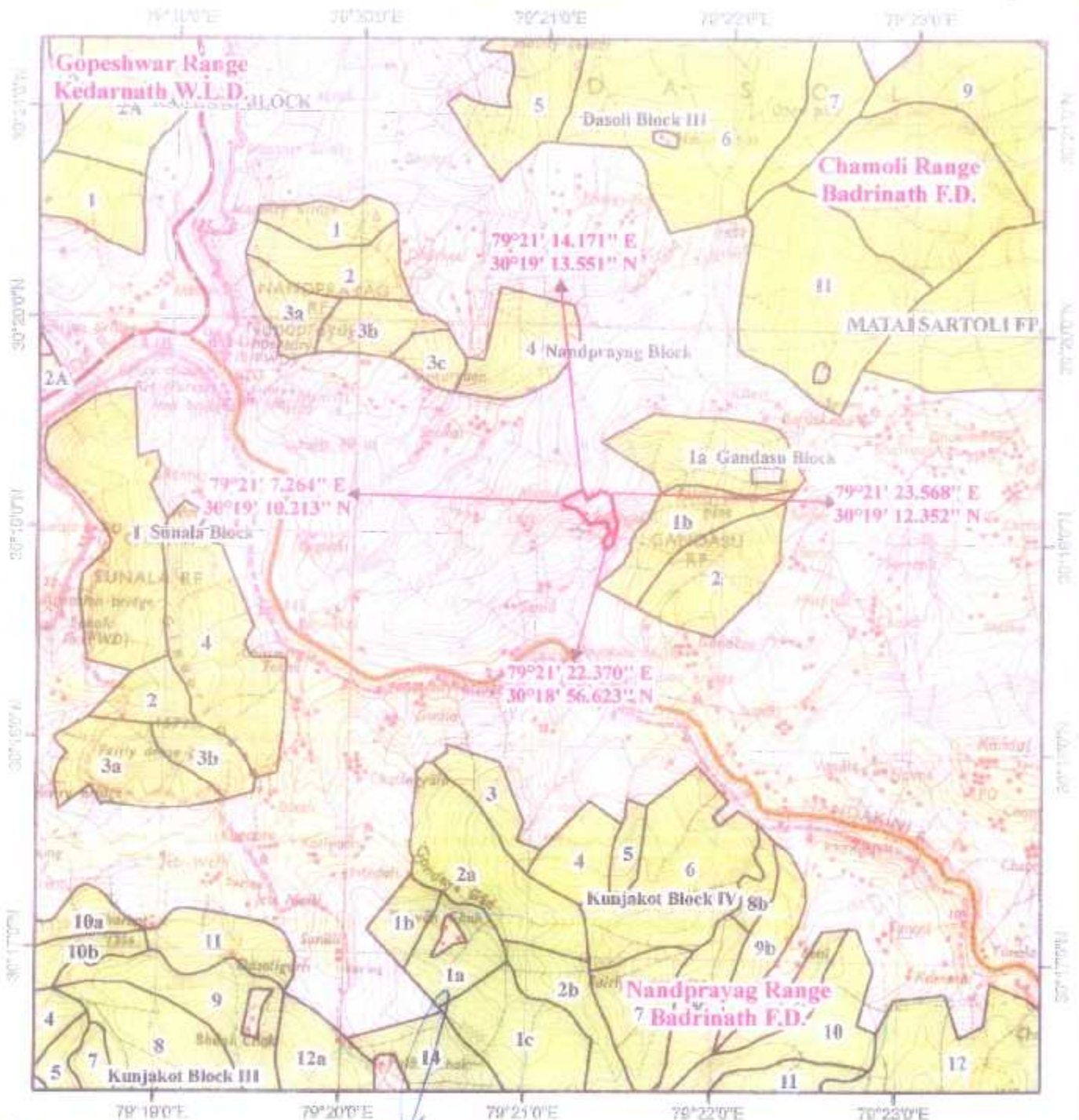
कालिङ शिवालय
 मी० रोड एव० मी० ल०
 कालिङ

अधिकांश अति
 जमीन ताल मी०
 कालिङ

S.No.	Longitude	Latitude
1	79°21' 24.517" E	30°18' 57.774" N
2	79°21' 25.877" E	30°19' 3.787" N
3	79°21' 25.272" E	30°19' 5.332" N
4	79°21' 24.416" E	30°19' 8.644" N
5	79°21' 23.568" E	30°19' 12.352" N
6	79°21' 19.782" E	30°19' 13.392" N
7	79°21' 17.855" E	30°19' 12.010" N
8	79°21' 15.757" E	30°19' 10.672" N
9	79°21' 14.171" E	30°19' 13.551" N
10	79°21' 10.885" E	30°19' 11.946" N
11	79°21' 7.264" E	30°19' 10.213" N
12	79°21' 10.027" E	30°19' 8.339" N
13	79°21' 12.611" E	30°19' 7.890" N
14	79°21' 14.753" E	30°19' 6.000" N
15	79°21' 16.675" E	30°19' 3.866" N
16	79°21' 21.667" E	30°19' 4.936" N
17	79°21' 22.537" E	30°19' 2.957" N
18	79°21' 23.586" E	30°19' 1.949" N
19	79°21' 21.425" E	30°18' 58.761" N
20	79°21' 22.370" E	30°18' 56.623" N

डिजिटल मैप - जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में ग्वाला से गोरणी तक 8 कि०मी० मोटर मार्ग एवं 60 मी० स्पांन सेतु का निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Forest Boundary

प्रभागीय वृक्षारोपण

कनक अग्रियन्ता (आप)
आप उओ लो नि 1
कनकप्रयाग

अग्रियन्ता अभियन्ता
प्रभागीय वृक्षारोपण नि. वि.
कनकप्रयाग
कनक अग्रियन्ता (आप)
आप उओ लो नि 1
कनकप्रयाग

कनक अग्रियन्ता (आप)
आप उओ लो नि 1
कनकप्रयाग